

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,  
राहत आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
रायबरेली व आगरा।

राजस्व अनुभाग -10

लखन दिनांक १८ जुलाई, 2008

विषय—वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1056 / सी०आर०ए०—दैवी आपदा—  
धनावंटन मॉग/०८, दिनांक ०७ जुलाई, 2008 (रायबरेली) तथा पत्र संख्या:  
३९८ / विविध लिपिक, दिनांक ०९ जुलाई, 2008 (आगरा) द्वारा उपलब्ध कराये गये  
प्रस्ताव के कम मे मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी  
आपदा राहत कार्यो हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु० ५०,००,०००/- (रुपये पचास  
लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से कुल धनराशि रुपये रु० १,००,००,०००/-  
(रुपये एक करोड़ मात्र) अग्रिम रूप से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष  
प्रदान करते हैं।


2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09  
के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “२२४५—प्राकृतिक  
विपत्तियों के कारण राहत—आयोजनेत्तर—०५—आपदा राहत निधि—८००—अन्य  
व्यय—०३—राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय—४२—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या—जी.आई.—१३४ /  
१-११-२००७— ४६ / ९७, दिनांक ३१ जुलाई, २००७ में इंगित राहत की विभिन्न मदों  
में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय  
हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया  
जायेगा। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित  
धनराशि कोषागार नियम—२७ के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह  
सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में  
विलम्बतम ०३ दिन के अन्दर वितरित हो जाय। के गार नियम—२७ से आहरित  
धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव शासन को १० दिन में अनिवार्य  
रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार



नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल देवी आपदाओं जैसे—अग्निकाण्ड, औधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये हो किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा—फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815/1-10-2007-14(45)/2003, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार देवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरू चेक के माध्यम से तथा रु 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेरी चेक के माध्यम से ही किया जाय।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में देवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।
6. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रयार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुना भी जाए।
7. कठिय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सहायोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश




संख्या—1693 / 1-11-2005-रा०-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 नार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।


11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
  
(जी० के० टण्डन)  
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या—3553(1) / 1-10-2008-12(71) / 2008टी०सी०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं आगरा।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, रायबरेली व आगरा।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग- 6 / 11 / राहत बेवसाइट की उपयोग हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(राजा राम)  
अनु सचिव